



प्रभात खबर

prabhatkhabar.com

रांची | पटना | जमशेदपुर | धनबाद | देवघर | कोलकाता | मुजफ्फरपुर | भागलपुर | गया से प्रकाशित



मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना



अब झारखण्ड में
ही मिलेगा युवाओं को

रोजगार, मदद करेगी झारखण्ड सरकार

- ▶ राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन युवाओं के स्वरोजगार हेतु सुगम एवं सस्ते दर पर ऋण की उपलब्धता।
- ▶ ऋण पर अनुदान भी देगी सरकार
- ▶ योजना के तहत वाहन लेने की भी सुविधा

25 लाख
तक के ऋण का प्रावधान

40 प्रतिशत
या 5 लाख तक
सरकार देगी अनुदान

50 हजार
तक के लोन पर किसी
गारंटी की जरूरत नहीं

कौन होंगे योग्य लाभुक ?

उम्र सीमा
18-45 वर्ष

आवेदक झारखण्ड
राज्य का स्थायी
निवासी हो

पारिवारिक वार्षिक
आय 5 लाख से कम

सखी मंडल की
दीदियां भी ले सकती
हैं योजना का लाभ

कार्यालय जहाँ आप जमा कर सकते हैं अपना आवेदन :

- झारखण्ड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम
- झारखण्ड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम
- झारखण्ड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
- झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
- जिला कल्याण पदाधिकारी

सूचना एवं जन-संपर्क विभाग, झारखण्ड सरकार